

वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति

प्रलम्ब के लिये

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन,

वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह,

कंपनी अधिनियम, 2013

मेन्स के लिये:

वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति

चर्चा में क्यों?


[भारतीय रिज़र्व बैंक](#) (RBI) ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु **वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति: 2020-2025** (National Strategy for Financial Education: 2020-2025) जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) का यह दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण वर्ष 2013 में जारी किया गया था।

वित्तीय साक्षरता (Financial literacy):

- [आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन](#) (Organization for Economic Co-operation & Development- OECD) के अनुसार, वित्तीय निर्णय लेने के लिये या व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण हासिल करने के लिये इसे वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और आवश्यक व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है।



वित्तीय शिक्षा (Financial Education):

- इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ नविशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं एवं जोखिमों से संबंधित अपनी जानकारी में सुधार करते हैं और सूचना, निर्देश या उद्देश्य के माध्यम से वित्तीय जोखिमों एवं अवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिये कौशल एवं आत्मविश्वास विकसित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त सूचित विकल्प बनाने के लिये या यह जानने के लिये कि मदद के लिये कहाँ जाना है और वित्तीय कल्याण में सुधार करने के लिये अन्य प्रभावी कार्रवाई करना है।


- वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिये इस NSFE को नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (National Centre for Financial Education- NCFE) द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy- TGFIFL) के तत्वाधान में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे- भारतीय रज़िर्व बैंक, भारतीय प्रतभित्ति एवं वनियमि बोरड (SEBI), भारतीय बीमा वनियामक एवं वकिस प्ररधकिरण (IRDAI), पेंशन नधि नयिमक एवं वकिस प्ररधकिरण (PFRDA) आदि के परामर्श से तैरर कयि गयर है ।

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE):

- यह कंपनी अधनियिम, 2013 की धरर 8 के तहत RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA दवरर प्रवर्तति गैर लरभकरी कंपनी है ।
- यह धन कर बेहतर प्रबंधन करने और भवषिय की योजनर बनरने के लयि पर्यरप्त ज्ञरन, कौशल, दृषटकिरण एवं वयवहर वकिसति करने हेतु जनसंख्यर के वभिनिन वर्गों को सशकृत बनरने के लयि बहु-हतिधरकर के नेतृत्व वरले दृषटकिरण पर ज़ोर देती है ।
- इसने देश में वित्तीय शकिस के प्रसर के लयि 5'C दृषटकिरण की सफिररशि की है ।
 - सरमगरी (Content): जनसंख्यर के वभिनिन वर्गों के लयि वित्तीय सरकषरतर सरमगरी ।
 - कषमतर (Capacity): वित्तीय शकिस प्रदरतरओं के लयि कषमतर एवं आचरर संहति कर वकिस करना ।
 - समुदर (Community): वकिसति समुदर दवरर वित्तीय सरकषरतर को स्थरयी रूप से प्रसररति करने के लयि नेतृत्व करना ।
 - संचर (Communication): वित्तीय शकिस संदेशों के प्रसर के लयि तकनीक, मीडियर एवं संचर के नवीन तररीकों कर उपयोग करना ।
 - सहयग (Collaboration): वित्तीय सरकषरतर के लयि अनू हतिधरकों के प्रररसों को करगर बनरनर ।

रणनीतिक उद्देश्य (Strategic Objectives):

- वित्तीय शकिस के मरध्यम से जनसंख्यर के वभिनिन वर्गों के बीच वित्तीय सरकषरतर की अवधररणर को एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल कर हसिस बनरनर ।
- सकुरयि बचत वयवहर कुर प्रोत्सरहति करनर ।
- वित्तीय लकष्यों एवं उद्देश्यों कुर पूरर करने के लयि वित्तीय बरज़ररों में भरगीदररी कुर प्रोत्सरहति करनर ।
- सरख अनुशरसन वकिसति करनर और आवशुकतरनुसरर औपचररक वित्तीय संस्थरनों से कर्रेडिट प्ररप्त करने के लयि प्रोत्सरहति करनर ।
- सुरकषति तररीके से डजिटिल वित्तीय सेवरओं के उपयोग में सुधर करनर ।
- प्ररसंगकि एवं उपयुकृत बीमर कवर के मरध्यम से वभिनिन जीवन चरणों में ज़खमि कर प्रबंधन करनर ।
- उपयुकृत पेंशन योजनरओं के मरध्यम से वृद्धरवस्था एवं सेवरनवृत्ति की योजनर तैरर करनर ।
- शकियत नवरररण के तररीके, अधकिरर और करतव्य के बररे में ज्ञरन देनर ।
- वित्तीय शकिस में प्रगति कर आकलन करने के लयि अनुसंधन एवं मूल्यरंकन के तररीकों में सुधर करनर ।
- इसमें यह भी सुझरव दयि गयर है किर प्रगति के आकलन के लयि एक मज़बूत नगिररनी एवं मूल्यरंकन ढरँचे कुर अपनायर जनर चरहयि ।
 - TGFIFL, वित्तीय स्थररितर एवं वकिस प्ररषिद (Financial Stability and Development Council- FSDC) की देखरेख में समय-समय पर नगिररनी एवं NSEF के करर्यरनुवयन के लयि ज़मिमेदरर हुरगर ।
 - TGFIL कुर FSDC दवरर नवंबर 2011 में स्थरपति कयि गयर थर ।



हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिये वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion- NSFI) भी जारी की है।

- यह एक महत्वाकांक्षी रणनीति है जिसका उद्देश्य मार्च, 2022 तक कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये सभी टयिर-II से टयिर-VI केंद्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विभिन्न तरीकों के लिये पारस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।

आगे की राह:

- भारत ने पछिले कई वर्षों में अपने नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के लिये अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिये कई महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है जैसे [प्रधानमंत्री जन-धन योजना](#), सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ- [प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना](#), [प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना](#), [अटल पेंशन योजना](#), प्रधानमंत्री किसान धन योजना, [प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना](#) और [प्रधानमंत्री मुद्रा योजना](#)।
- [वर्ल्ड बैंक](#) की [फिंडेक्स 2017 रिपोर्ट](#) (Findex 2017 Report) ने बताया गया है कि भारत में औपचारिक खाते वाले वयस्कों का अनुपात वर्ष 2011 में 35% से बढ़कर वर्ष 2017 में 80% हो गया है।
- हालाँकि देश को अभी भी एक सम्मानजनक वित्तीय साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये लंबा रास्ता तय करना होगा जो समावेशी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: द हट्टू